

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पिकप भवन तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संख्या

सी-१/एन/एनओ सी-८४३/२०२१/१५

दिनांक

२९/९/२१

सेवा में

में

ब्लॉक 'जेस्ट' ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स,

प्लॉट नं.-१२, सेक्टर-१४३,

नोएडा, गौतम बुद्ध नगर.

पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से / नई इकाई की स्थापना हेतु / कार्यरत इकाई की स्थापना के लिए
विस्तार / संशोधन के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक

को संवेदन से आपके आवेदन

पर निष्पत्ति किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित
विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है

(क) स्थल

प्लॉट नं.- १२, सेक्टर-१४३, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर

CERTIFIED TRUE COPY
For DREAM PROCON PRIVATE LIMITED

Director

शाला

जिल्हारा नोटेरियल

प्राप्ति उत्तराह की मात्रा :

रुप

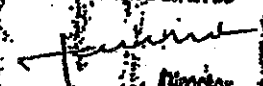
दिनांक

१२००, सेडीए के ०४ कोडिंग स्टेट हेतु नो. ११११ शिवप्रसादनुसार

उपरोक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उपरोक्त विषय वस्तु आवश्यक सन, संगत, हस्त, भूदिक, उत्तराह शुद्धिकरण, समस्त सन, सन प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण, नो. की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में भत्तेक माह की हस्त की तारीख तक निरंतर भिजवाये जायेंगे।

उपरोक्त विषय वस्तु परीक्षण उत्पादन कर तक प्राप्त नहीं करें जब तक कि वह बीड से जले एवं वायु अशुद्धियों को नियंत्रित प्रगति प्राप्त न कर सकें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का हस्त लेख करके इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग संप्रदाय को अनुपालन नहीं करता है तो उद्योग अशुद्धियों के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के वैधानिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

CERTIFIED TRUE COPY
For DREAM PROCON PRIVATE LIMITED

Director

निर्देशों के अनुसार की मात्रा से अधिक नहीं होगी। सेटिंग टिक के
प्रकार के निर्माण से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

निर्माण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति
मैनेजिंग मैनेजिंग तह-संयंत्र प्रस्तुत की जाए।

प्रस्तावित जेस्ट ग्रुम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, भूखण्ड सख्या-जी०एच०-२, सेक्टर-१०३, नोएडा
जिला गौतमबुद्धनगर द्वारा कुल क्षेत्रफल १०००८०.६८ वर्गमीटर बिल्डअप एरिया २०००८०.६८
वर्गमीटर पर २४ तल की ६४१० फ्लैट की आवासीय कालोनी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अलार्न की
स्थापना की जाये।

प्रस्तावित द्वारा परियोजना से जनित कुल प्ररेल उत्पन्न १००८ घर्षमीटर/दिन हेतु २०००
फ्लैट/डी० क्षमता के एस०टी०पी० की स्थापना की जाये तथा शुद्धिकृत उत्पन्न को यथासंभव
विशुद्ध एवं फ्लैशिंग हेतु प्रयुक्त किया जाये।

प्रस्तावित द्वारा सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रबंधन बायोक्मैस्टिंग एवं रिसाइक्लिंग द्वारा प्रस्तावों के
अनुरूप किया जाये।

प्रस्तावित प्रस्तावित डी०जी०सेट पर ध्वनि सौधक व्यवस्थाओं के साथ-साथ प्रस्तावित सार चिमनी
भी स्थापित की जाये।

प्रस्तावित प्रस्तावित सार वाटर हार्डनिंग व्यवस्था स्थापित करें।

प्रस्तावित नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप
में विकसित करें।

प्रस्तावित द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार/स्टेट इन्चार्जमेंट इस्पेक्ट असेसमेंट
ऑथोरिटी से पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त किया जाये।

प्रस्तावित द्वारा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम १९८४ एवं वायु अधिनियम १९८६ के
अनुसार के अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है।

प्रस्तावित द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रकृति पॉल-वर्क या बैंक गारण्टी की वृद्धता तिथि से एक वर्ष तक
वैधता होगी।

प्रस्तावित द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य विभागों तथा मा० न्यायालयों के द्वारा समय-समय पर भारत
प्रदेशीय स्वीकृतियों के अधीन होगी।

प्रस्तावित द्वारा किसी भी परिस्थिति में सत्त्वार्थ परिसर के बाहर भूमि पर तत्त्वार्थ परिसर के बाहर
प्रस्तावित द्वारा जमीन के अन्तर्ग नदी खाला जायेगा।

प्रस्तावित द्वारा निर्मित बैंक गारण्टी पत्रों- एफ०२३३७/सी-१/एन०ओ०सी०-८४३/२०१९ दिनांक
२०१९ का अन्तर्गत अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में प्रस्तावित
द्वारा निर्मित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी
प्रस्तावित द्वारा के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

DEFINIFIED TRUE COPY
OF DREAM PROCOMP PRIVATE LIMITED

Director

जो यहाँ दी गई उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभाव एवं स्वतंत्रता के अनुपालन में
 कर के तहत निपटारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार है कि अनापत्ति
 प्रमाण-पत्र को रद्द किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के ताल्लुक में संशोधन
 द्वारा इस कार्यविधि में दिनांक तक प्रथम अनुपालन द्वारा आवश्यक प्रेषित की जाए
 अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

संदेश सचिव

/एन. ओ. सी.

सद दिनांक:

प्रतिनिधि

निदेशक जिला उद्योग फंड:

गोविन्दनगर

निदेशक जिला उद्योग फंड, ज. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नारयणपुर।

निदेशक जिला उद्योग फंड, ज. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:

नारयणपुर

CERTIFIED TRUE COPY
 FOR DREAM PROOF PRIVATE LIMITED

Director
 Director